



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 20
26 ज्येष्ठ 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
16 जून 2021 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-10	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	11-11	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	12-14

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

30 अप्रैल 2021

सं० 15/ ए 6-02/2008 (अंश I)-962—श्री दीपक कुमार सिंह, उप निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त मैथिली अकादमी, पटना, मगही अकादमी, पटना, संस्कृत अकादमी, पटना, बंगला अकादमी, पटना एवं हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना के कार्यकारी निदेशक के रूप में विभागीय अधिसूचना संख्या 409 दिनांक 18.02.2021 द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

2. उक्त पाँचो अकादमियों में वित्तीय कार्य संचालन एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु तत्काल कार्यहित में कार्यकारी निदेशक के स्थान पर निम्न पदों पर भी प्राधिकृत किया जाता है :-

- (i) मैथिली अकादमी, पटना में निदेशक-सह-सचिव एवं अध्यक्ष।
- (ii) संस्कृत अकादमी, पटना में निदेशक-सह-सचिव एवं अध्यक्ष।
- (iii) मगही अकादमी, पटना में अध्यक्ष-सह-निदेशक।
- (iv) बंगला अकादमी, पटना में निदेशक-सह-सचिव-सह-Treasurer and/or the Deputy Secretary.
- (v) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना में अध्यक्ष-सह-निदेशक।

3. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

14 जून 2021

सं० ई2-2-34/2010-23—श्री लाल बहादुर राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल का दिनांक 15.06.2021 से दिनांक 15.07.2021 तक कुल 31 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल की अनुशंसा के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

30 अप्रैल 2021

सं० 01/रा.स्था.(पदस्थापन)-21/2021 सह-1388—श्री मुकेश कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी को श्री प्रभात कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी) के अवकाश अवधि तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री प्रभात कुमार के अवकाश से लौटने के पश्चात् श्री मुकेश कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी के प्रभार से स्वतः मुक्त हो जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

30 अप्रैल 2021

सं० 01/रा.स्था.स्थाना.- 22/2021 सह.-1389—श्री शिवशंकर कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बगहा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. श्री प्रभात कुमार के अवकाश से लौटने के पश्चात् श्री शिवशंकर कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी के प्रभार से स्वतः मुक्त हो जायेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

28 मई 2021

सं० 01/रा.स्था.(त्यागपत्र)- 24/2021 सह.-1429—श्रीमती शशिबाला रावल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना (अवकाश में) का त्यागपत्र उनके आवेदन के आलोक में दिनांक 01.05.2021 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप—सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचनाएं

19 मई 2021

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-03/2016-4106—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 1017 (2)/स्वा० दिनांक 11.09.2020 द्वारा डा० प्रवीण कुमार प्रभाष तथा डा० सादिक अब्दुल्ला, सामान्य चिकित्सक की सेवा विभाग को प्राप्त हुई थी तथा उनके द्वारा विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

2. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक 1017 (2)/स्वा० दिनांक 11.09.2020 की कंडिका-15 एवं 16 के आलोक में विभागीय पत्रांक-6315 दिनांक 16.09.2020 तथा 6257 दिनांक 15.09.2021 द्वारा डा० प्रवीण कुमार प्रभाष तथा डा० सादिक अब्दुल्लाह, दोनों सामान्य चिकित्सक को क्रमशः जूनियर रेजिडेंट के पद पर N.M.C.H, Patna तथा D.M.C.H, Darbhanga में टेन्योर अवधि पूरा करने हेतु विरमित किया गया था।

3. जूनियर रेजिडेंट का टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् डा० प्रभाष तथा डा० अब्दुल्लाह द्वारा क्रमशः दिनांक 28.04.2021 तथा दिनांक 23.03.2021 को कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में योगदान समर्पित किया गया है।

4. उक्त दोनों चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में योगदान के पश्चात् निम्नवत् पदस्थापन किया जाता है :-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पदस्थापन कारा का नाम
1	2	3	4
1	डा० सादिक अब्दुल्लाह	पूर्वी चम्पारण	मंडल कारा, गोपालगंज
2	डा० प्रवीण कुमार प्रभाष	दरभंगा	मंडल कारा, मधुबनी

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र०)।

19 मई 2021

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-04/2020-4108—महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा Walk-in-interview के माध्यम से संविदा पर सामान्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची से चयनित निम्नांकित सामान्य चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित कारा में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	चिकित्सक का नाम	कोटि (जिसमें चयनित हुए हैं)	गृह जिला	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	डा० प्रियमबदा प्रियदर्शनी	अनारक्षित	समस्तीपुर	मंडल कारा, समस्तीपुर
2	डा० रश्मि कुमारी	अनारक्षित	पटना	उपकारा, दानापुर
3	डा० कुमारी सोनी शबनम	अनारक्षित	समस्तीपुर	उपकारा, दलसिंहसराय
4	डा० अर्चना कुमारी	अनारक्षित	गया	उपकारा, विक्रमगंज
5	डा० विजय प्रकाश	अनुसूचित जाति	खगड़िया	मंडल कारा, खगड़िया

2. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

3. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

19 मई 2021

सं० कारा/स्था० (चि०) 01-04/2020-4109—महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा Walk-in-interview के माध्यम से संविदा पर विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची से चयनित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सक को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित कारा में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	चिकित्सक का नाम	कोटि (जिसमें चयनित हुए हैं)	गृह जिला	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	डा० अविनाश कुमार	अनारक्षित	समस्तीपुर	शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ

2. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

3. उपरोक्त चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

12 अप्रैल 2021

सं० 1स्था०-163/2021-846/वि०स०।-मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-928, दिनांक 23.09.2006 द्वारा अधिसूचित बिहार विधान मंडल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3(ख) सहपठित बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली-2006 के निजी कर्मियों के सुविधा संबंधित नियम में दिये गये अनुसूची-1 के नोट-III में निहित प्रावधान के अधीन माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (वाह्य) के पद पर श्री विशुनी पासवान, पिता-श्री हरिलाल पासवान, ग्राम-कुढ़वा, पोस्ट-बरहेता, थाना-चकमेहसी, भाया-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर, पिन-848302 को वेतन स्तर-9 में अंके-53,100/-रूपये प्रतिमाह नियत वेतन एवं समय-समय पर स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्ता के साथ दिनांक 25.03.2021 (पूर्वा०) से वर्तमान माननीय उपाध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यान्त जो भी पहले हो, तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

30 अप्रैल 2021

सं० 1स्था०-186/2018-912/वि०स०।-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के कार्यान्वयन/अनुपालन हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्री असीम कुमार, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभा सचिवालय की अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

02 जून 2021

सं० 1स्था०-163/2021-926/वि०स०।-सभा सचिवालय के पत्रांक-798, दिनांक 01.04.2021 द्वारा किये गये अनुरोध पर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०-4942, दिनांक 13.04.2021 द्वारा सरकारी पदाधिकारी के श्रेणी में श्री प्रभात चन्द्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-682/19 गृह जिला-मधुबनी को उप सचिव (अपने वेतनमान में), कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद से स्थानान्तरित करते हुए श्री महेश्वर हजारी, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर दिनांक 01.04.2021 (पूर्वाहन) के प्रभाव से नियुक्त करने हेतु अगले आदेश तक अथवा माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा सेवा वापस किये जाने तक के लिए उनकी सेवा बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उपलब्ध करायी गयी है।

उपर्युक्त आलोक में श्री प्रभात चन्द्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-682/19 गृह जिला-मधुबनी को उप सचिव (अपने वेतनमान में) को श्री महेश्वर हजारी, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर दिनांक 01.04.2021 (पूर्वाहन) के प्रभाव से वर्तमान माननीय उपाध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यान्त जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

आदेश से,
असीम कुमार, उप-सचिव।

Home department (Prison)

Notification

The 10th March 2021

No. कारा/स्था०(अधी०)-01-12/2014-2416--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Jail Service Rules, 2014 (As Amended from time to time)" :-

1. **Short title, extent and commencement:**--(I) These rules may be called the "Bihar Jail Service (Amendment) Rules, 2021".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.

2. **Substitution of Rule 4(a)(iv) of the "Bihar Jail Service Rules, 2014" :-** Rule 4(a)(iv) of the Rules shall be substituted by following :-

"The age limit of the candidates for direct recruitment shall be the same as prescribed for selection of Bihar Police Service"

3. **Addition of Sub rule (vii) to the rule 4 (a) of the "Bihar Jail Service Rules, 2014" :-** Rule 4 (a)(vii) shall be added as following :-

"(vii) The physical standard for Bihar Prison Service shall be the same as prescribed for Bihar Police Service."

4. Addition of sub rule (iv) to the rule 7 of the “Bihar Jail Service Rules, 2014” :- The rule 7 (iv) shall be added as following :-

“(iv) Officers appointed through direct recruitment shall be entitled to the next increment, after the first increment, only after passing the prescribed departmental examination and on satisfactory completion of treasury training.”

By Order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Joint Secretary-Cum- Director (admin).

समाहरणालय, मधेपुरा

सामान्य-शाखा

आदेश

7 दिसम्बर 2020

सं० 1045--पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-711/हि०शा०, दिनांक-08/05/2020 द्वारा पुलिस निरीक्षक, मुरलीगंज थाना डी०आर० न०-644/20 दिनांक-04/05/2020 एवं अधीक्षक, मद्य निषेध, मधेपुरा के पत्रांक-494/म०नि०, दिनांक-25/04/2020 के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया है कि दिनांक-12/03/2020 को मद्य निषेध चलिष्णु दल, मधेपुरा द्वारा मुरलीगंज थाना के चौकीदार बीट सं०-05/08 श्री रमेश पासवान, पे०-स्व० जामुन पासवान, सा०-मुरलीगंज, वार्ड न०-10, जिला-मधेपुरा को शराब का सेवन करने एवं तलाशी के क्रम में उनके पास से कमर में पेट में खोसकर रखे इम्पेरियल ब्लू क्लासिक ग्रीन विस्की का एक 750 एम०एल० की खुली बोतल जिसमें लगभग-150 एम०एल० शराब मौजूद था। अभियुक्त श्री पासवान का ब्रेथ एनालाईजर यंत्र से किये गये श्वास परीक्षण में रीडिंग-111.7 एम०जी०/100 एम०एल एवं चिकित्सक द्वारा भी श्री पासवान के द्वारा शराब (अल्कोहल) सेवन करने की पुष्टि की गई। श्री पासवान, चौकीदार के शराब सेवन की पुष्टि होने पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम-2018 की धारा 30(a), 37(b) के अंतर्गत उत्पाद वाद संख्या 387/2019-20 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्री पासवान के पास से बरामद विस्की (शराब) की जाँच उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया गया जिसमें बरामद विस्की (शराब) Having ethyl alchohal content 28.1% v/v and intoxicant पाया गया।

अभियुक्त श्री पासवान के पास बरामद शराब मेडिकल जाँच, ब्रेथ एनालाईजर यंत्र से किये श्वास परीक्षण रिपोर्ट एवं उत्पाद रसायन परीक्षण, बिहार पटना के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शराब पीने के आरोप में दिनांक-12/03/2020 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-497/सा०, दिनांक-19/5/2020 द्वारा श्री रमेश पासवान, चौकीदार, बीट सं०-5/8 थाना-मुरलीगंज को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 संशोधन 2018 के नियम-30(a), 37(b) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 (संशोधन)2017 के नियम-04 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 तहत् गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की

तिथि-12/03/2020 के तहत भूलक्षी प्रभाव से इन्हें निलंबित करते हुए पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, मधेपुरा मुख्यालय निर्धारित किया गया। निलंबन अवधि में श्री पासवान कोबिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का आदेश दिया गया। श्री पासवान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ साक्ष्य सहित तीन प्रतियों में गठित कर एक पक्ष के अंदर भेजने का अनुरोध पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक-373/सा0प्र0, दिनांक-08/06/2020 द्वारा श्री रमेश पासवान निलंबित चौकीदार, बीट सं0-5/8, थाना-मुरलीगंज के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ साक्ष्य सहित तीन प्रतियों में प्राप्त हुआ।

1. संक्षिप्त आरोप

I. शराब का सेवन करने एवं तलाशी के कम में उनके पास से प्राप्त इम्पेरियल ब्लू क्लासिक ग्रीन, विस्की का एक 750 एम0एल0 की खुली हुयी बोतल जिसमें लगभग-150 एम0एल0 शराब बरामद होने एवं ब्रेथ इनालाईजर यंत्र से श्वास परीक्षण में रिजल्ट (रिडिंग) 111.7 एम0 जी0/100 एम0एल0 पाया गया तथा सदर अस्पताल मधेपुरा के चिकित्सक द्वारा भी शराब (अल्कोहल) का सेवन करने की पुष्टि होने के आरोप में वाद सं0-387/2019-20 दिनांक-12/03/2020 के द्वारा उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) एवं 37(बी) के अंतर्गत कांड दर्ज कर दिनांक-12/03/2020 के न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

II. अनुसंधान कर्ता निरीक्षक, मद्य निषेध, चलिष्णु दल मधेपुरा द्वारा उत्पाद वाद संख्या 387/2019-20 दिनांक-12/03/2020 के आरोप में श्री पासवान, चौकीदार बीट संख्या-5/8 के विरुद्ध प्रतिवेदन पी0आर0 सं0-109/2019 के अंतर्गत समर्पित आरोप-पत्र।

III. बिहार सरकार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 संशोधन-2018 की धारा 30(ए) एवं 37(बी) के तहत उत्पाद वाद सं0-387/2019-20 दिनांक-12/03/2020 दर्ज एवं बिहार सरकारकारी सेवक आचार नियमावली 1976 संशोधन नियमावली 2017 के सुसंगत नियमों का उलंघन किया गया है।

2. संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति

कार्यालय आदेश ज्ञापांक-628/सा0, दिनांक-27/6/2020 द्वारा श्री पासवान के विरुद्ध प्राप्त प्रपत्र-‘क’ पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियमावली-2005 के नियम-16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीयकारवाई के संचालन हेतु श्री मनोहर कुमार साहु, निदेशक,सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मुरलीगंज को उपस्थापन पदाधिकारी, नियुक्त किया गया।

3. आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप पर आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण

मुझ पर लगा आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत एवं मेरे खिलाफ लाया गया मामला बिल्कुल ही झूठ है। यह मामला माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेषन्यायाधीश, उत्पाद के न्यायालय में उत्पाद वाद संख्या-226/2020 लंबित है। अतः न्यायालयकाअंतिम फैसला आने तक विभागीय कार्यवाही किया जाना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। मैं स्वच्छ चरित्र का व्यक्ति हूँ। घटना के दिन थानाध्यक्ष मुरलीगंज की अनुमति लेकर मैं एक बारात में शामिल होने जा रहा था। घटनास्थल

पर (दुर्गा चौक मुरलीगंज) कुछ लोग बैच पर बैठे थे, जहाँ ग्लास में पानी रखा था। वही ग्लास से पानी लेकर मैं दवा खाया। इसी दौरान उत्पाद विभाग मधेपुरा की टीम द्वारा घटनास्थल पर एक व्यक्ति को पकड़कर बदसलूकी की जाने लगी जिसका मैंने चौकीदार की हैसियत से विरोध किया। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बताया गया कि वह व्यक्ति शराब कासेवन कर रहा था, साथ ही उसके पास से इम्पीरियल ब्लू क्लासिक ग्रीन विस्की का एक 750 एम0एल0 की खुली बोतल जिसमें लगभग 150 एम0एल0 शराब था। बरामद होने का दावा किया गया। टीम ने चालाकी से एक फोरमेट के दोनों तरफ मेरा हस्ताक्षर ले लिया, जिसे मैंने सामान्य रूप में लिया। पुनः उत्पाद टीम ने मेरे द्वारा बदसलूकी की बिरोध किए जाने को बुरा एवं अपमान मानते हुए उक्त मामले में मुझे अभियुक्त बना दिया, तथा जब्त की गयी शराब की बोतल को मेरे पास से बरामद दिखा दिया गया। उत्पाद टीम द्वारा पूर्व से पकड़े व्यक्ति अनिल भगत पर 386/2019-20 एवं मेरे खिलाफ-387/2019-20 दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। मुझ पर प्रयुक्त ब्रेथ एनालाइजर मशीन से छेड़छाड़ की गयी। ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा निर्गत प्रतिवेदन पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है। मेरे खिलाफ प्रयुक्त स्वतंत्र गवाह-विकाश कुमार ने शपथ-पत्र द्वारा मेरे पास शराब की बरामदगी से इनकार किया है। दूसरा गवाह मो0 सहादत नाम का कोई व्यक्ति मुरलीगंज में नहीं है। वाद संख्या-386/2019-2020 को काटकर 387/2019-20 बनाया गया है। बदसलूकी का विरोध करने पर साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेरा कभी कोई इस प्रकार का अपराधिक इतिहास नहीं रहा है। मैं उत्पाद विभाग मधेपुरा के पदाधिकारी के आकोश का शिकार हुआ हूँ। मैं एक गरीब भूमिहीन व्यक्ति हूँ। मेरे उपर मेरे परिवार का भरण-पोषण का भार है। मेरे उपर उत्पाद वाद संख्या-387/2019-20 लंबित है। ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ लाया गया विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना अथवा चलाना न केवल मेरे बाल-बच्चों के साथ अन्याय होगा बल्कि नैसर्गिक इंसाफ के खिलाफ होगा। मेरे इस कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए मेरे खिलाफ लाया गया विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा की जाय।

4. उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य

अंचलाधिकारी -सह- उपस्थापन पदाधिकारी मुरलीगंज ने अपने पत्रांक-627-2, दिनांक-03/09/2020 द्वारा श्री रमेश पासवान निलंबित चौकीदार बीट संख्या-05/08 थाना-मुरलीगंज के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपी चौकीदार के विरुद्ध कार्रवाई में आरोपी चौकीदार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, प्रपत्र-‘क’ के अवलोकन उपरान्त पाया कि आरोपी चौकीदार दिनांक-12/03/2020 को शराब के नशे के हालत में पकड़े गये थे तथा उनपर उत्पाद वाद संख्या-387/19-20 दिनांक-12/03/2020 संस्थित है। वर्तमान में निलंबित चौकीदार के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

5. संचालन पदाधिकारी का मंतव्य

संचालन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा के पत्रांक-429/सा0सु0को0, दिनांक-14/09/2020 द्वारा श्री पासवान निलंबित चौकीदार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की अधिगम प्राप्त हुआ, जिसमें निलंबित चौकीदार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ के सुनवाई के क्रम में आरोपी चौकीदार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी चौकीदार रमेश पासवान, निलंबित चौकीदार बीट सं0-5/8, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 संशोधन-2018 के नियम

30(a), 37(b) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 संशोधन-2017 के नियम-04 का उल्लंघन किये हैं। इस प्रकार इनके उपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं।

6. संचालनोपरांत प्रमाणित आरोप पर आरोपी से पूछे गये द्वितीय स्पष्टीकरण का जबाब

प्रमाणित आरोप पर इस कार्यालय के ज्ञापांक-840, दिनांक-19/9/2020 द्वारा श्री रमेश पासवान निलंबित चौकीदार से द्वितीय स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री पासवान ने समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में संचालन पदाधिकारी के समक्ष जो प्रथम स्पष्टीकरण समर्पित किया था उसी तथ्यों का उल्लेख द्वितीय स्पष्टीकरण में भी किया गया है। जिसमें कोई भी नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं है। फलतः इनका समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

बिहारसरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 जिसे सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार,पटना के अधिसूचना संख्या-1823दिनांक-26/02/2017 द्वारा (संशोधन) नियमावली,2017 के नियम-4 में प्रतिस्थापित है कि “कोई सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का उपभोग नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध संबंधी विधि का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा”

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम-03 में भी यह स्पष्ट है कि “हर सरकारी सेवक सदा पूरी शीलनिष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। ” श्री पासवान सरकारी सेवक रहते हुए इनका यह कृत पद पर बने रहने के औचित्य तथा प्रशासन की छवि को धुमिल करने का परिचायक है।

श्री पासवान पर गठित आरोपो पर संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालनोपरांत प्राप्त अधिगम/मंतव्य में पाये गये तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रमेश पासवान निलंबित चौकीदार के विरुद्ध प्रमाणित आरोप तथा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 (संशोधित),2018 की धारा-37 (b)(c), बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम-3 तथा (संशोधन) नियमावली,2017 के नियम-04 के तहत समेकित विवेचना करने पर परिलक्षित होता है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के तहत वृहद दण्ड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अन्य सरकारी कर्मों के बीच गलत संदेश जायेगा।

अतः मैं नवदीप शुक्ला,भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली,2005 (यथा संशोधन),2007 के नियम-14 (xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री रमेश पासवान, निलंबित चौकीदार, बीट सं0-5/8 थाना-मुरलीगंज को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्तगी (Dismiss), का दण्ड अधिरोपित करता हूँ। जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी।

श्री रमेश पासवान, निलंबित चौकीदार से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:-

1. नाम-रमेश पासवान
2. पिता का नाम-स्वर्गीय जामुन पासवान
3. पदनाम-चौकीदार,बीट संख्या-5/8
4. जन्म तिथि-02/03/1962
5. नियुक्ति की तिथि-01/01/1990
6. कार्यालय का नाम-पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

7. वेतनमान-5200- 20200 (लेवल-01) अपुनरीक्षित।
8. सेवानिवृत्ति की तिथि-31/03/2022
9. स्थायी पता-साकिन-मुरलीगंज, वार्ड न0-10,थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी मधेपुरा।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

9 जून 2021

सं0 स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2-3073—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्य के रूप में विभागीय अधिसूचना-2254, दिनांक- 25.03.2021 के द्वारा श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार को नामित किया गया है। उनके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्य के रूप में श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, को नामित किया जाता है।

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत अतिरिक्त सलाहकार के रूप में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
विकास वैभव, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

शिक्षा विभाग

शुद्धि-पत्र

4 मई 2021

सं० 15/ए6-02/2008 (अंश-I)-975—विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-15/ए6-02/ 2008(अंश-I)-962 दिनांक 30.04.2021 से श्री दीपक कुमार सिंह, उप निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त पाँच अकादमियों में वित्तीय कार्य संचालन एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य हित में विभिन्न पदों पर प्राधिकृत किया गया है। अधिसूचना में श्री दीपक कुमार सिंह को बंगला अकादमी, पटना में निदेशक-सह-सचिव-सह-Treasurer and/or the Deputy Secretary. के पद पर भी प्राधिकृत किया गया है।

उक्त अधिसूचना के क्रमांक-2(iv) पर बिहार बंगला अकादमी, पटना को अध्यक्ष-सह-निदेशक पढ़ा जाय।
शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/भवन-49/2020—4101

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

18 मई 2021

राज्य की काराओं में जनाकीर्णता की समस्या के निदान हेतु राज्य में अनुमंडल स्तर पर नये कारा भवनों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त ऐसे अनुमंडल, जहाँ माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में न्यायालय स्थापना संभावित है, यथा राजगीर (नालन्दा), रजौली (नवादा), मढ़ौरा (सारण), महाराजगंज (सिवान), हथुआ (गोपालगंज), चकिया (पूर्वी चम्पारण), पकडीदयाल (पूर्वी चम्पारण), महनार (वैशाली) एवं सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) में 1000 बंदी क्षमता के नये कारा भवन का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया जाता है।

3. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० म०भो०/को०-85/2012—703

शिक्षा विभाग

संकल्प

7 जून 2021

विषय:- अक्षय पात्रा फाउन्डेशन, बेंगलुरु एवं इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना को केन्द्रीकृत रसोईघर के माध्यम से पटना जिला अन्तर्गत दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं पटना सदर प्रखण्ड के चिह्नित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने हेतु नामांकन के आधार पर चयन किये जाने के संबंध में।

1. मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं का छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं समग्र शिक्षा अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों इत्यादि में पढ़ने वाले वर्ग-I से वर्ग-VIII के सभी बच्चों को गरमा-गरम पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

2. अक्षय पात्रा फाउन्डेशन, बेंगलुरु द्वारा पटना जिला अन्तर्गत दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं पटना सदर प्रखण्ड के शैक्षणिक अंचल गोलघर के 204 विद्यालयों में नामांकित लगभग 38,000 (अड़तीस हजार) बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति किया जाएगा एवं इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना द्वारा पटना जिला अन्तर्गत पटना सदर प्रखण्ड के शैक्षणिक अंचल बांकीपुर, गर्दनीबाग, महेन्द्र, गुलजारबाग, पटना सिटी चौक एवं मालसलामी के 203 विद्यालयों में नामांकित लगभग 41,000 (एकतालीस हजार) बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति किया जाएगा।

अक्षय पात्रा फाउन्डेशन द्वारा मध्याह्न भोजन संचालन हेतु संबंधित प्रखण्डवार विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	प्रखण्ड	विद्यालयों की संख्या
1.	दानापुर	93
2.	फुलवारीशरीफ	58
3.	पटना सदर	22
4.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल गोलघर	31
कुल		204

इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना द्वारा मध्याह्न भोजन संचालन हेतु संबंधित प्रखण्डवार विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है : —

क्रम संख्या	प्रखण्ड	विद्यालयों की संख्या
1.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल बांकीपुर	16
2.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल गर्दनीबाग	53
3.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल महेन्द्रू	41
4.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल गुलजारबाग	28
5.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल पटना सिटी चौक	28
6.	पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल मालसलामी	37
कुल		203

3. अक्षय पात्रा फाउन्डेशन, बेंगलुरु को केन्द्रीकृत रसोईघर बनाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बलदेवा उच्च विद्यालय, दानापुर, पटना में 0.5 एकड़ भूमि 10 वर्षों के इस्तेमाल के लिए एकरारनामा के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। एकरारनामा संपादित करने के पूर्व एकरारनामा की शर्तों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की अनापत्ति/सहमति प्राप्त की जाएगी। एकरारनामा संपादित करने के पश्चात् अक्षय पात्रा फाउन्डेशन, बेंगलुरु द्वारा इस जमीन पर छः माह के अंदर केन्द्रीकृत रसोईघर का निर्माण पूर्ण कर मध्याह्न भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा।

इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना को मध्याह्न भोजन का संचालन हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराया जाना है। सहमति पत्र मिलने के पश्चात् इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना द्वारा तीन माह के अंदर बुद्ध मार्ग, पटना स्थित मंदिर परिसर में केन्द्रीकृत रसोईघर का निर्माण कर मंदिर परिसर से मध्याह्न भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा।

4. अक्षय पात्रा फाउन्डेशन, बेंगलुरु एवं इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना द्वारा योजना का संचालन केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश में कर्णाकित परिवर्तन मूल्य की राशि एवं निर्धारित खाद्यान्न से ही किया जाना है। इसके अतिरिक्त अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।

उपर्युक्त निर्णय पर दिनांक—01.06.2021 की बैठक में मद संख्या—10 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि, निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

सं0 15/ए 2— 01/2014—925

शिक्षा विभाग

संकल्प

13 अप्रैल 2021

विषय:— राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, इनकी नियुक्ति हेतु गठित होने वाली चयन समिति की संरचना में संशोधन एवं उनकी नियुक्ति संबंधी सेवा शर्त में आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बिहार राज्य में 13 परम्परागत विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इन परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सम्प्रति सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 में सन्निहित सेवा शर्तों के आलोक में अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही है।

2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या. F.25-1/2018(PS/MISC) दिनांक 28.01.2019 द्वारा विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए उसे प्रति व्याख्यान रू0 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) एवं प्रति माह अधिकतम रू0 50,000/- (पचास हजार) निर्धारित किया गया है। साथ ही यू0जी0सी0 द्वारा इनकी नियुक्ति हेतु चयन समिति की संरचना में संशोधन किया गया है।

3. सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 में निम्न संशोधन किया जाता है :-

(i) अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को प्रति व्याख्यान रू0 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) मात्र एवं प्रतिमाह अधिकतम रू0 50,000/- (पचास हजार) मानदेय अनुमान्य होगा।''

(ii) अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निम्न वर्णित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा :-

(क)	विश्वविद्यालय के कुलपति	:-	चयन समिति के अध्यक्ष।
(ख)	कुलपति द्वारा नामित एक संबंधित विषय का एक विषय विशेषज्ञ	:-	सदस्य।
(ग)	संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष (जहाँ लागू हो)	:-	सदस्य।
(घ)	संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	:-	सदस्य।
(ङ0)	अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/दिव्यांग श्रेणी का एक शिक्षाविद	:-	सदस्य।

(iii) अतिथि/अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति 11 माह के लिए की जा सकेगी एवं पुनः उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अगले 11 माह के लिए ऊपर वर्णित चयन समिति द्वारा सेवा नवीकृत की जा सकेगी।

4. उपरोक्त संशोधन संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 9—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>